

प्रेस नोट-सहारनीय कार्य 12.07.2024

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 232/24 धारा 65(1)/351(3) BNS व 3 / 4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को 15 घण्टो के अन्दर किया गया गिरफ्तार ।

श्री अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु श्री मनोज कुमार अवस्थी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व श्री अजय कुमार राय क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के कुशल निर्देशन एवं विनोद कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना मिर्जापुर के नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी ।

आज दिनांक 12.07.2024 को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा देख-रेख शान्ति व्यवस्था ,रोकथाम जुर्म जरायम व प्रभावित बाढ क्षेत्र भ्रमण व तलाश वांछित अभियुक्त मु0अ0सं0 232/24 धारा 65(1)/351(3) बीएनएस व 3 /4 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रंजीत पुत्र ओमवीर सिंह निवासी ग्राम भुर्जिया थाना मिर्जापुर जिला शाहजहाँपुर को जरियनपुर तिराहे पर थाना मिर्जापुर जिला शाहजहाँपुर से समय 10.16 बजे गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त उपरोक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रंजीत पुत्र ओमवीर सिंह निवासी ग्राम भुर्जिया थाना मिर्जापुर जिला शाहजहाँपुर ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 232/24 धारा 65(1)/351(3) बीएनएस व 3 /4 पोक्सो एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण –

1. प्र0नि0 विनोद कुमार
2. व0उ0नि0 नरगेश कुमार
3. हे0का0 456 उपदेश
4. का0 160 सुनील कुमार
5. चालक का0 सुशील कुमार